



न्यायालय नायब लक्ष्मीलदार
लक्ष्मील कार्यालय कुरुद

वैषय:- जांच प्रतिवेदन पेश करने बाबत

संदर्भ:- न्यायालय नायब लक्ष्मीलदार-1 कुरुद जिला - धमतरी द.ग. के नाम
क्रमांक / 835 / ना. लक्ष-1 / वा. / 2023 कुरुद दिनांक 27/12/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कल्ले प.हन-32
वा. नि.मं - दरवा लक्ष्मील कुरुद जिला - धमतरी के अंतर्गत आवेक
अरुण कुमार पिता शुभकुलाल जाति - ब्राह्मण की भूमि खसरा नं. 192
रकबा 2.00 हे. में से 0.40 हे. में लगे सागौन वृक्षों को काटने की
अनुमति बाबत आवेदन के संबंध में जांच प्रतिवेदन हेतु आदेश प्राप्त।

वर्तमान राजस्व अभिलेख में ख. नं. 192 रकबा
2.00 हे. अरुण कुमार पिता शुभकुलाल के नाम पर भूमिस्वामी हक
में दर्ज है। उक्त खसरा नं. का टुकड़ा 0.40 हे. में विगत वर्षों के
सागौन का वृक्ष लगा था। उक्त आवेदन के संबंध में 29/02/2024
को संबंधित रूप में स्वतंत्र निरीक्षण किया गया। वर्तमान में ख. नं.
192 का टुकड़ा 0.40 हे. में कुल 282 पौधा लगा पाया गया।
व कुरुद पौधे दीमक लगने व आधी लूकान से वारिधारी गिराये हैं।
जिसे आवेदक के द्वारा अपने घर में रखा गया है जिन्की संख्या 684 है

प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Atul
Pw32
29/02/2024

के.एच.
29/02/24
रा.नि.०
र.र.वा.

पंचनामा

दिनांक 29/02/2024 को न्यायालय नायब तहसीलदार -1 कुरुद
जिला धमतरी (छ.ग.) के लापन क्रमांक / 835 / ना. तह -1 / वा / 2023
कुरुद दिनांक 27/12/2023 के परिपालन में ग्राम कुल्ले प.ह.न-
32, रा. नि.म - हरवा तहसील - कुरुद जिला - धमतरी में आवेदक
भरुण कुमार बुस्ला पिता सुमुकुलाल जाति - ब्राह्मण के द्वारा आवेदित
भूमि रज.न. 192 रकबा 200 है. में से 0.40 है. भूमि
पर जमीन सार्जन के पौछे लगे हैं जो कि बांघी बूझन एवं बाघिया
के कारण नीचे गिर गये व क्षति दीमग लग गये हैं के कारण
उक्त संबंध में जांच हेतु ग्राम चौखार कुल्ले, आवेदक के पुत्र
व अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच किया गया जिसमें से
लगभग 640 पौछे गिर गये, 40 पौछे में दीमग लग गया है,
लगभग 282 पौछे वर्तमान में भीड़े में हैं।

पंचनामा भीड़े पर तैयार कर हस्ताक्षर कराया।

कमल नारायण जांघे
ग्राम चौखार कुल्ले

इन निवेदन लिखे 6 फरवरी

सोमनाथ

जोतिर गोमठ

प्राय

27/2/24

महेश्वर कल्ले

29/02/2024

प्रमोद बुस्ला

अनु
प.न.32

29/02/24
राजनी
दरवा

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

राजस्व II / आर / 606

धमतरी, दिनांक :- 05 / 02 / 2025

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुरुद
जिला-धमतरी

विषय :- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 4273 / अ.वि.अ. / वा.-1 / 2023 दिनांक 21.12.2024

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र के अनुसार आवेदक अरुण कुमार शुक्ला निवासी ग्राम- कल्ले, तहसील- कुरुद, जिला-धमतरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 192 पर कुल 05 एकड़ भूमि में स्थित करीब 1000 नग सागौन वृक्ष को काटने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के पत्र क्रमांक / 1851 08.11.2024 के अनुसार सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुरुद द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया एवं प्रतिवेदन पर बताया गया कि उक्त भूमि में मौके पर सागौन प्रजाति के खड़े हुए 243 नग वृक्ष पाया गया एवं अत्यधिक आंधी तूफान आने एवं भारी बारिश के कारण गिरे पड़े सूखे सागौन पेड़ 496 नग को अपने स्वयं के घर बाड़ी में सुरक्षित रखा गया है। विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौका सत्यापन स्थल निरीक्षण कर पंचनामा लिया एवं वृक्ष का मार्किंग कर फार्म फेक्टर गणना पत्रक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 496 नग सागौन प्रजाति वृक्ष का छाती गोलाई लेकर मार्किंग रिकार्ड दर्ज किया गया जो कि सभी वृक्ष राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका मार्किंग कर मय गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। फार्म फेक्टर गणना पत्रक अनुसार निम्नानुसार अनुमानित लकड़ी प्राप्त होगा:-

क्र.	वृक्ष संख्या	अनुमानित उत्पादन		योग (घ.मी.)
		ईमारती (घ.मी.)	जलाऊ (घ.मी.)	
1	739	18.376	4.594	22.970

अतः 739 नग वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न:- (1) सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुरुद का जाँच प्रतिवेदन।

(2) मार्किंग रिकार्ड बुक।

(3) फार्म फेक्टर गोशवारा।

(4) नक्शा खसरा बी-वन

312

R1
10-2-25

वनमण्डलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल, धमतरी

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी , धमतरी

07722-240511 (O), 75870 - 11511 (Mobile) , E-Mail :- rodmt-forest.cg@gov.in

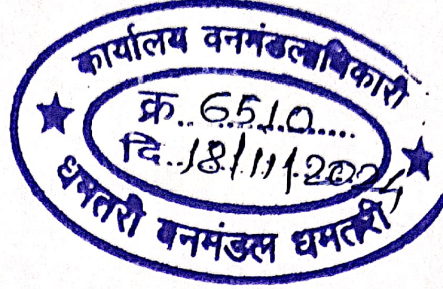
क्रमांक/...1851

प्रति

दिनांक 8/11/2024

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, धमतरी



विषय :- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/राजस्व I/4074 दिनांक 26/07/2024.



उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भितनुसार निवेदन है कि आवेदक अरुण कुमार शुक्ला निवासी ग्राम कल्ले , तहसील - कुरुद , जिला - धमतरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 192 कुल 5 एकड़ भूमि में स्थित करीब 1000 नग सागौन वृक्षों को काटने हेतु अनुमति चाही गई है। जिसका सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुरुद द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त भूमि में मौके पर सागौन प्रजाति के खड़े हुए 243 नग वृक्ष पाया गया एवं अत्यधिक आंधी तूफान आने एवं भारी बारीश के कारण गिरे पड़े सूखे सागौन पेड़ 496 नग को अपने स्वयं के घर बाड़ी में सुरक्षित रखा गया है। जिसकी गणना कर छाती गोलाई नाप कर एवं हालात मार्किंग रिकार्ड बुक में दर्ज किया गया। उक्त क्षेत्र पूर्णतः राजस्व क्षेत्र है वन भूमि नहीं है।

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुरुद के जांच प्रतिवेदन से सहमत हूँ। अतः प्रतिवेदन आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- (1) स.प.अ. कुरुद का प्रतिवेदन।

(2) मार्किंग रिकार्ड बुक की मूलप्रति 17 नग एवं आदेशकार / नग

(3) बी 1 नक्शा एवं खसरा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

धमतरी